## समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

नवीन कुमार पाराशर, एडव्होकेट
तनय श्री स्व. रामेश्वर प्रसाद पाराशर आयु 36 वर्ष
मूल निवासी बरोदिया कला, तह. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.)
हाल मुकाम – 5 सिविल लाईन, तह. व जिला सागर (म.प्र.)

— — — अपीलार्थी / आवेदक

/ विरूद्ध /

1. रामशरण प्रसाद पाराशर तनय स्व. श्री बैजनाथ प्रसाद पाराशर आयु 58 वर्ष
मूल निवासी बरोदिया कला, तह. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.)
हाल मुकाम – एफ–91 / 50, तुलसीनगर वार्ड, भोपाल, जिला भोपाल (म.प्र.)

2. श्रीमती गायत्री देवी पुत्री स्व. बैजनाथ प्रसाद पाराशर (फौत)
द्वारा : वारसान– (1) राहुल गोस्वामी पिता स्व. रमेश कुमार गोस्वामी आयु 35 वर्ष
(2) मोहन गोस्वामी पिता स्व. रमेश कुमार गोस्वामी आयु 30 वर्ष
(3) राजेन्द्र गोस्वामी पिता स्व.रमेश कुमार गोस्वामी आयु 28 वर्ष
(4) कामिनी गोस्वामी पिता स्व.रमेश कुमार गोस्वामी आयु26 वर्ष

सभी निवासी 87, परकोटा वार्ड, सागर तह. व जिला सागर (म.प्र.)

— — — प्रतिअपीलार्थीगण

### अपील अन्तर्गत धारा 44, म.प्र.भू.रा.सं.

अपीलार्थी निम्न प्रार्थी हैं :–

अपीलार्थी निम्न न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्र.क्र. 815 / अ / 6 वर्ष 2014–2015, आदेश दिनांक 17.9.2015 से दुःखित एवं कुंठित होकर निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत करता है :–

### प्रकरण के तथ्य एवं तर्क

(1) यह कि, बैजनाथ प्रसाद तनय हरिनारायण पाराशर, निवासी बरौदिया कला ने ग्राम रेडोन, मालगुजारी, प.ह.नं. 65 / 79 में खसरा नं. 85, 89, 96, 108, 115, 157, 209 एवं 237, कुल रकवा 9.6 हेक्टे. भूमि स्व–अर्जित सम्पत्ति से क्रय की थी। उक्त सम्पत्ति उन्होंने आवेदक / अपीलार्थी को वसीयतनामा दिनांक 15.6.2006 को स्वेच्छा से दस्तावेज लेखक श्री द्वारका प्रसाद सोनी, मालथौन से समक्ष गवाहान लेख कराया था। वसीयतकर्ता का दिनांक 26.11.2007 को स्वर्गवास हो गया है। स्व. बैजनाथ प्रसाद का संस्कार युक्त समस्त कार्य आवेदक एवं आवेदक के पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद ने किया था। स्व. बैजनाथ प्रसाद 1999 में लकवाग्रस्त हो गये थे तथा उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त होने से वे हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो गये थे। इसी वजह से स्व. बैजनाथ प्रसाद पाराशर, जो आवेदक के दादा जी थे, उन्होंने वसीयतनामा पर अपनी सही निशानी की थी।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

**प्रकरण कमांक** R -3593–दो–.2015 **जिला सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>नवीन कुमार/रामशरण | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9–9–2016 | यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 815/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 17.9.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।<br>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रूप सिंह यादव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्क में बताया गया कि मृतक भूमिस्वामी श्री बैजनाथ प्रसाद तनय श्री हरीनारायण पाराशर अपने स्वत्व व स्वामित्व की भूमि हलक कमांक 65/79 ग्राम रेडोन की खसरा कमांक 85, 89, 96, 108, 115, 157, 209, एवं 237 कुल रकवा 9.6 है0 स्व अर्जित संपत्ति से कय की थी जिसकी उनके द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपने नाती (पुत्र के पुत्र) आवेदक के नाम दिनांक 15.6.06 को गवाहान के समक्ष दस्तावेज लेखक श्री द्वारका प्रसाद सोनी तहसील मालथौन के द्वारा लेख कराया जाकर अपनी स्वेच्छा से वसीयत संपादित की थी। उनके द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया कि स्व. बैजनाथ प्रसाद 1999 से लगवाग्रस्त हो गये थे तथा उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त होने से वे हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो गये थे तथा दिनांक 26.11.07 को उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वसीयत दिनांक 15.6.06 के आधार पर आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु वसीयत कर्ता की मृत्य के बाद नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण कमांक 4/अ–6/2011–12 दर्ज किया जाकर प्रकरण में पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा एवं वसीयत के साक्षीगणों के साक्ष्य आदि की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद प्रकरण दिनांक 17.2.2012 को आदेशार्थ सुरक्षित कर लिया गया। प्रकरण को आदेशार्थ सुरक्षित रखने के काफी लम्बे अंतराल के पश्चात नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.11.2012 को आदेश पारित कर दिया | |

**प्रकरण कमांक** R -3593–दो–.2015 **जिला सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>नवीन कुमार/रामशरण | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

गया। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता को नहीं दी गयी। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया कि प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित होने के दिनांक 17.2.12 के बाद आवेदक की अनुपस्थिति में अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.5.12 को आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी प्रति आवेदक को नहीं दी गयी। इसके बाद दूसरी आपत्ति शपथपत्र के साथ नायब तहसीलदार के समक्ष दिनांक 13.8.12 को प्रस्तुत की गयी, इस आपत्ति आवेदन की प्रतियां भी आवेदक को नहीं दी गयीं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदकगण द्वारा फौती नामांतरण के संबंध में कोई आवेदन पत्र भी विचरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया इसके बाद भी बिना आवेदन एवं नामांतरण की मांग के नायब तहसीलदार मालथौन द्वारा अनावेदकगण के नाम विधि विरूद्ध फौती वारिसाना नामांतरण आदेश कर दिया गया। यहां यह तथ्य विशेष रूप से विचारणीय है कि जब प्रकरण वसीयत दिनांक 15.6.06 के आधार पर आवेदक के नाम नामांतरण हेतु लंबित एवं प्रचलित था तब विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किए जाने के बाद अनावेदकगणों से आपत्तियां किन परिस्थितियों में प्राप्त की गयी और उन प्राप्त आपत्तियों पर आवेदक को कूट परीक्षण करने का अवसर न दिए जाने का क्या कारण था तथा गुप चुप तरीके से दिनांक 6.11.12 को प्रकरण में बिना बताए आदेश पातिर करने का कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और इस पारित आदेश की सूचना भी आवेदक को नही दी गयी। किसी प्रकार आवेदक को आदेश दिनांक 6.11.12 की सूचना दिनांक 24.2.14 को प्राप्त होने पर नकल हेतु आवेदन दिया गया एवं दिनांक 22.3.14 को नकल प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 के आवेदन एवं शपथपत्र क साथ

**प्रकरण कमांक** R -3593–दो–.2015 **जिला सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>नवीन कुमार/रामशरण | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 52/अ–6/13–14 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 12.8.15 से धारा 5 के आवेदन के आधार पर ही खारिज कर दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा गुण दोष पर आदेश पारित न कर धारा 5 के आधार पर पारित आदेश दिनांक 12.8.15 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 815/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 17.9.15 से इस आधार पर निरस्त की गयी कि "प्रस्तुत अपील वसीयत के आधार पर नामांतरण का प्रकरण है अतः अपीलार्थी सक्षम न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त करे"। इस आदेश के साथ प्रकरण समाप्त कर दिया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रोवेट प्राप्त करने के क्या कारण है और इस वसीयत के आधार पर नामांतरण प्रकरण में प्रोवेट प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जवकि विधिक प्रकियाओं के अनुसरण में एवं साक्ष्य अधिनियम के अनुसार वसीयत को दो साक्षियों से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में गुण दोष के आधार पर निर्णय न देने के क्या कारण रहे, इस संबंध में कोई स्पष्ट विवेचना अपने आक्षेपित आदेश में नहीं की गयी है। जो विधिविरूद्ध होने से निगरस्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त निगरानी कर्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर विचार में लिया जा रहा है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अवैधानिक आदेशों को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की

**प्रकरण कमांक** R -3593–दो–.2015 **जिला सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>नवीन कुमार/रामशरण | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा मात्र यह अंकित करते हुए कि "प्रस्तुत अपील वसीययत के आधार पर नामांतरण का प्रकरण है अतः अपीलार्थी संक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त करे"। और प्रकरण समाप्त कर दिया गया। अपर आयुक्त का यह आदेश उचित नहीं है क्योंकि इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया गया है कि इस प्रकरण में वसीयत के संबंध में प्रोबेट प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है, जबकि वसीयत के संबंध में (गिरधरलाल बनाम मानक लाल, 1990 रा.नि. 28 एवं ए.आई.आर.1962 सु.को. 567 ए.आई.आर.1962 सु.को. 1471) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि"वसीयत–नामांतरण प्रकरण की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए नामांतरण के प्रयोजन के लिए वसीयत का प्रोबेट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं माना गया है, मात्र वसीयत का प्रमाण होना आदेशात्मक माना गया"। इसी प्रकार (गिरधरलाल बनाम मानक लाल 1990 रा.नि. 28) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि"बिल–वसीयत सावित कर दी गयी, प्रशासन पत्र तथा प्रेबेट प्राप्त करना आवश्यक नहीं"। हिन्दू सक्सेशन एक्ट में भी यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि वसीयत को दो गवाहों से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। इस प्रकरण में वसीयत कर्ता द्वारा अपने स्वत्व व स्वामित्व की सम्पत्ति की वसीयत आवेदक के नाम की है ऐसी स्थिति में निहित प्रावधानों के प्रकाश में संपादित वसीयत की बैधना एवं सत्यता की जांच विधि एवं साक्ष्य अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाकर आदेश गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के समक्ष अपील अनुविभागीय आधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी जहां अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील धारा 5 समयविधान के

**प्रकरण कमांक** R -3593–दो–.2015 **जिला सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>नवीन कुमार/रामशरण | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

आवेदन पर ही खारिज कर दी गयी थी, अपर आयुक्त द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 17.9.15 में अनुविभागीय अधिकाकरी के आदेश दिनांक 12.8.15 के संबंध में कोई विवेचना एवं विश्लेषण नहीं किया गया है जबकि उन्हें अपील में स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था जो अपर आयुक्त द्वारा नहीं किया गया है।

इसी कम में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.8.15 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उनके द्वारा भी प्रकरण में गुण दोष पर विचार न किया जाकर मात्र धारा 5 समयविधान के आवेदन पर ही प्रकरण को खारिज कर दिया गया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी है जिसके संबंध में (काशी प्रसाद वि. भूरा 1981 जे.एस.जे. 136 डी.बी.हा.को.) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "अनुविभागीय अधिकारी/प्रथम अपीलीय न्यायालय तथ्यों के संबंध में अंतिम न्यायालय है, उसे साक्ष्य पर स्वतंत्रतः पूर्णरूपेण विवेचना करना चाहिए थी"। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी उचित नहीं है क्योंकि प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयत के आधार पर नामांतरण से संबंधित था जिसे धारा 5 के बिन्दु पर उक्त न्यायिक सिद्धांत के अनुसारण में खारिज न करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। इस संबंध में (2002(11) एमपीजेआर 36 डी.बी.सु.को. म्यूनिशिपल कार्पोरेशन ग्वालियर विरूद्ध रामचरण) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "अधिवक्ता द्वारा समर्थित शपथपत्र भी दिया गया है हा.को. को अपील में बिलम्ब क्षमा करने के आवेदन पर उदारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात सु.को. ने यह भी दी कि जहां अपील में विधि का प्रश्न विचारणीय हो वहां अपील ऑन मेरिट सुनी जाना न्यायहित में होगा। इस निर्णय का तात्पर्य यहां यह है कि पक्षकार ऑन मेरिट न्यायपास के और

**प्रकरण कमांक** R -3593–दो–.2015 **जिला सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>नवीन कुमार/रामशरण | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

अपील बेरूम्याद होने के आधार पर वह न्याय से बंचित नहीं हो सके"। इसके साथ ही (कृपाराम वि. मध्य प्रदेश राज्य 1990 रा.नि. 176 पे. 4) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि सुनवाई के दिनांक को आदेश पारित नहीं किया गया, तारीख बढाई गयी, उसकी सूचना नहीं दी गयी, आदेश की जानकारी से म्याद की गणना होगी।

यहां यह तथ्य विचारणीय है कि तहसील न्यायालय में प्रकरण दिनांक 17.2.12 को आदेश हेतु सुरक्षित हो गया था तथा आदेश दिनांक 6. 11.12 को लगभग 9 माह बाद किया जाना बताया गया जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं दी गयी, ऐसी स्थिति में जानकारी दिनांक से म्याद की गणना की जाना चाहिए थी, इस प्रकार उक्त न्याय सिद्धांतों के अनुकम में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण समयावधि के बिन्दु पर खारिज न करते हुए गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाना चाहिए थी, क्योंकि प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयत के आधार पर नामांतरण से संबंधित होने से और भूमि स्वामी को वसीयत करने की अधिकारिता होने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। प्रकरण में जहां तक वसीयत को प्रोबेट कराने का प्रश्न है तो इस संबंध में हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 57 ए के अनुसरण में (धन सिंह बनाम सुम्मेर 1979 रा.नि. 154 पैरा 3) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि " प्रोबेट को प्राप्त करने की जरूरत प्रेसीडेंसीज के क्षेत्रों के बाहर निष्पादित बसीयत के लिए नहीं है। इस प्रकरण में निष्पादित वसीयत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जिसे प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धांतों के अनुकम में अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि

**प्रकरण कमांक** R -3593–दो–.2015 **जिला सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>नवीन कुमार/रामशरण | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

वे उभयपक्ष एवं समस्त हितवद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विद्यमान तथ्यों के संसबंध में गुणदोष के आधार पर स्पष्ट विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**